



कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा
क्रमांक— एफ—10()गोप./कोविको/2019/40542

दिनांक— 23.03.2019

विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय अध्यादेश में सम्बन्धित वर्ष की परीक्षाओं/पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित होने के पश्चात् प्रयुक्त उत्तरपुस्तिकाओं के निस्तारण किये जाने का प्रावधान है। इस क्रम में लेख है कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित करवायी गई परीक्षा—2018 की परीक्षाओं में सम्मिलित हुए परीक्षार्थियों का मुख्य एवं पूरक परीक्षा 2018 का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है एवं इसके अतिरिक्त जिन परीक्षार्थियों द्वारा पुनर्मूल्यांकन एवं स्कूटनी हेतु आवेदन किया गया था, उनके परिणाम भी विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किये जा चुके हैं। यदि किन्हीं परीक्षार्थियों के मुख्य परीक्षा परिणाम या पुनर्मूल्यांकन परिणाम किसी कारणवश लम्बित हो तो दिनांक 10.04.2019 तक सहायक कुलसचिव (गोपनीय) को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा एवं उक्त सत्र की प्रयुक्त उत्तरपुस्तिकाओं का निष्पादन कर दिया जावेगा। यदि परीक्षार्थी द्वारा उक्त अवधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण परिणाम लम्बित रहता है, तो सम्बन्धित परीक्षार्थी स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होगा।

परीक्षा नियंत्रक